बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 356829 पटना, दिनांक 27-02-2018

ग्रा.वि.-7(आं)-02/2017

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से सामग्री मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के द्वितीय भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 9062.41 लाख (नब्बे करोड़ बासठ लाख इकतालीस हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0-356401 दिनांक-26.02.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/4/2017-MGNREGA-V Sl.No.-206 दिनांक 06-02-2018 द्वारा द्वितीय भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 9062.41 लाख (नब्बे करोड़ बासठ लाख इकतालीस हजार) रूपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णांकित उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं- 356401 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 9062.41 लाख (नब्बे करोड़ बासठ लाख इकतालीस हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 9062.41 लाख (नब्बे करोड़ बासठ लाख इकतालीस हजार) रूपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णांकित राशि कुल 150298.00 लाख (पंद्रह अरब दो करोड़ अंठानबे लाख) रूपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में स्वीकृत 9826.60 लाख (अंठानबे करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रूपये, 13296.85 लाख (एक अरब बत्तीस करोड़ छियानंब्बे लाख पचासी हजार) रूपये, 5000.00 लाख (पचास करोड़) रूपये, 5000.00 लाख (पचास करोड़) रूपये, 5000.00 लाख (पचास करोड़) रूपये, 4418.01 लाख (चौवालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार) रूपये, 6589.43 लाख (पैंसठ करोड़ नवासी लाख तैतालीस हजार) रूपये एवं 4418.00 लाख (चौवालीस करोड़ अठारह लाख) रूपये यथा कुल 53548.89 लाख (पांच अरब पैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख नवासी हजार) रूपये विमुक्ति उपरांत अवशेष उपबंध की राशि अवशेष राशि 96749.11 लाख (नौ अरब सड़सठ करोड़ उनचास लाख ग्यारह हजार) रूपये से आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गई राशि State Employment Guarantee fund,

सहायक प्र० पदा० संयुक्त सचिव निदेशक (स्था बा) सचिव

Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 म धारित Account no-61310273370 में जमा की जायेगी ।

5. भारत सरकार के पत्रांक G-31011/4/2017-MGNREGA-V Sl.No.-206 दिनांक 06-02-2018 के कंडिका-2 के आलोक में एकमुस्त निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है । फलत: आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के पत्रांक 3002 दिनांक 26.04.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

10. आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं ।

11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

27/02

(राधा किशोर झा)

विशेष सचिव

ज्ञापांक 356829 पटना, दिनांक: 27-02-2018

ग्रा.वि.-7(आं)-02/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव

ज्ञापांक 356829 पटना, दिनांक: 27-02-2018

ग्रा.वि.-7(आं)-02/2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव

ज्ञापांक 356829 पटना, दिनांक: 27-02-2018

ग्रा.वि.-7(आं)-02/2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा, प्रभारी सांख्यिकी सहायक, तथा आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव

ज्ञापांक 356829 पटना, दिनांक: 27-02-2018

ग्रा.वि.-7(आं)-02/2017

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष सचिव 27/0

सहायक प्र. पदा० संयुक्त सचिव निदेशक (सा०का०) सचिव